उत्पाद प्रपत्र संख्या– IB

विदेशी शराब (बीयर एवं वाईन सहित) भण्डारण एवं बिक्री के लिये थोक अनुज्ञप्ति जिसके तहत कॉरपोरेशन के गोदाम से जिला के खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को आपूर्ति हो ।

(केवल झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0, खूँटी के लिये)

उपायुक्त, खूंटी के आदेश से वर्ष 2015-16 के लिए नवीकृत
सहायक आयुक्त उत्पाद
राँची–सह–खूँटी

जिला का नाम – **खूँटी**

रजिस्टर सं0. **71** में लाईसेंस सं0. **01**

उपायुक्त खूंटी के आदेश से वर्ष 2016-17 के लिये नवीकृत
सहायक आयुक्त उत्पाद
राँची–सह–खूँटी

लाईसेंस की तारीख :–**01.06.2013 to 31.3.2014**

अनुज्ञाधारी का नाम :–**झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड**

लाईसेंस अवधि :–**01.06.2013** से **31.3.2014** तक चालू

बिक्री गोदाम का स्थान :– **पंडरा बाजार समिति (बिस्कोमान गोदाम)**

उपायुक्त खूंटी के आदेश से वर्ष 2014-15 के लिए नवीकृत
05/04/14
सहायक आयुक्त उत्पाद
राँची–सह–खूँटी
5-4-14

चौहद्दी.................

वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस :– **6,00,000/=** रू0

अग्रिम रूप में भुगतान रू0:– **6,00,000/=** रू0

विदित हो कि सर्वश्री झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0 को जिला के उपायुक्त दिनाँक **01.06.2013** से **31 मार्च 2014** तक पेय विदेशी शराब के भंण्डारण एवं थोक बिक्री के लिये इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं, ताकि जिला के खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को इसकी आपूर्ति हो सके।

1– इस लाईसेंस के चालू रहने की शर्त के रूप में लाईसेंसधारी से अपेक्षा की जाती है कि वह निम्नलिखित अनुच्छेदों और सभी उत्पाद शुल्क लाईसेंसों पर लागू सामान्य शर्त्तों का सम्यक रूप से और निष्ठापूर्वक पालन करेगा और उसके अनुसार कार्य करेगा।

2– झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य सरकार को जिला के लिये स्वीकृत अनुज्ञप्ति के लिये अग्रिम के रूप में वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रू0 **6,00,000/=** का भुगतान करेगा। वह वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का भुगतान संबंधित जिला स्थित कोषागार/उप कोषागार में करेगा।

3– (क) अनुज्ञाधारी किसी भी खुदरा विक्रेता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

(ख) अनुज्ञाधारी इस लाईसेंस के अधीन अमिश्रित सादा स्पिरिट या परिशोधित स्पिरिट नहीं बेचेगा।

4– अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति परिसर में मद्यपान नहीं करने देगा।

5– अनुज्ञाधारी इस लाईसेंस के अधीन 25 डिग्री यू0पी0 शक्ति से कम शक्ति का व्हिसकी, ब्राण्डी, वोदका, रम एवं जीन का बिक्री नहीं करेगा।

6– अनुज्ञाधारी इस लाईसेंस के अधीन अनुमोदित परिसर के अलावे कहीं और बिक्री हेतु विदेशी शराब/बीयर संचय नहीं करेगा वशर्तें कि इसके लिये आयुक्त उत्पाद द्वारा विशेष अनुमति प्रदान की गई हो।

7– अनुज्ञाधारी विदेशी शराब/बीयर उधार नहीं बेचेगा/एवं थोक बिक्री हेतु इसका पर्याप्त स्कन्ध बनाये रखेगा।

8– अनुज्ञाधारी मदिरा एवं इसके लेबुल की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा जिसकी भंण्डारण की गई हो।

9– अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति परिसर में विदेशी शराब/बीयर के स्कंध एवं बिक्री का पूरा ब्यौरा प्रतिदिन लेखा पँजी में अंकित करेगा। समय–समय पर निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा इसकी जाँच की जा सकेगी।

10– अनुज्ञाधाारी किसी को भी जिला के सहायक आयुक्त उएत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा निर्गत पास के बिना मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

11– अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति परिसर में मदिरा के पेटियों को ब्राण्डवार इस प्रकार संग्रहित करेगा कि उसे निरीक्षण के समय सत्यापन में सहुलियत हो।

12– अनुज्ञाधारी किसी भी ब्राण्ड की सात पेटी से अधिक पेटियों को एक के उपर एक नहीं रखेगा।

13– अनुज्ञाधारी की शर्त्तों के उल्लंघन के लिये उत्पाद अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जा सकेगा।

14– अनुज्ञाधारी गोदाम के कार्य करनेवाले प्रबन्धन एवं कार्य करने वाले अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों की सूची आयुक्त उत्पाद को देना सुनिश्चित करेगा।

15– अनुज्ञाधारी समय–समय पर आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्गत सामान्य तथा विशेष निर्गत अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

16– अनुज्ञाधारी उत्पाद अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनायी गई नियमावली का अनुपालन करेगा तथा उससे आबद्व रहेगा।

17– अनुज्ञाधारी राज्य में लागू सभी संबंधित विधि/नियम/अधिसूचना/संकल्प एवं अनुदेश का पालन सुनिश्चित करेगा।

18– अनुज्ञाधारी राजस्व पर्षद द्वारा अधिसूचित शुष्क दिवस को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

टिप्पणी :– उपर लिखित किन्हीं शर्त्तों या उत्पाद शुल्क लाईसेंसों पर लागू सामान्य शर्त्तों का उल्लंघन होने पर यह लाईसेंस जप्त कर दिया जायेगा और लाईसेंसधारी विधि या नियम द्वारा विहित सभी या किन्हीं दण्ड का भागी होगा।

स्थान–

तिथि –

उपायुक्त
खूँटी (झारखण्ड)

उपायुक्त

प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0, राँची द्वारा प्राधिकृत गोदाम मैनेजर/विक्रेताओं की सूची

जिला	नाम	पिता का नाम	उम्र	स्थायी पता	गोदाम मैनेजर/विक्रेता का हस्ताक्षर	लाईसेंसधारी/अनुज्ञाधारी के प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रतिलेख एकरारनामा

सर्वश्री..उपर नामित अत्रनुज्ञाधाारी इसमें इसके पूर्व लिखित और व्यक्त बंधेजों और शर्त्तों के निर्वहन और पालन करने के लिये अपनी ओर से और अपने अधिकृत प्रतिनिधियों की ओर से करार करता हूँ और अपने को आबद्व करता हूँ।

तारीख

साक्षी

28/6/13

हस्ताक्षर

पता

Managing Director
Jharkhand State Beverages Corp. Ltd.
Ranchi

उत्पाद प्रपत्र– 27 ड़

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत खूँटी जिला में देशी शराब/मसालेदार देशी शराब के भण्डारण एवं थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति

(केवल झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0, राँची के लिए)

इसके द्वारा झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची, जिन्हे इसमें अनुज्ञाधारी कहा गया है, को **खूँटी** जिला की देशी शराब/मसालेदार देशी शराब/कम्पोज़िट दुकान के अनुज्ञाधारियों को देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की थोक आपूर्ति के लिये झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा–20 के उपबन्धों एवं इसमें आगे बताई गई शर्तों के अधीन उपायुक्त के द्वारा दिनांक–**01-07-2013** से **31-03-2014** के लिये निम्नांकित शर्तों के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, यथा :–

शर्तें :–

1. इस अनुज्ञप्ति के अधीन बेची गई शराब आयुक्त उत्पाद द्वारा विहित मानक के अनुसार औसतन अच्छी किस्म की होगी।
2. अनुज्ञाधारी झारखण्ड उत्पाद अधिनियम 1915 के उपबन्ध एवं उसके अधीन बनाई गई नियम से जहाँ तक उनका उनसे संबंध हो आबद्व रहेगा।
3. अनुज्ञाधारी जिस जिला के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा उस जिला हेतु निर्धारित देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की थोक बिक्री के पूर्व जिला के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर रू0 2/– प्रति एल0पी0लीटर की दर से अनुज्ञप्ति शुल्क एक मुस्त अग्रिम जमा करेगा। यदि वित्तीय वर्ष में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक आपूर्ति होती है तो न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक की गई आपूर्ति की मात्रा पर उपरोक्त दर से थोक अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा।
4. जिस जिला के लिये झारखण्ड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा उस जिला हेतु विर्निदिष्ट प्रक्षेत्र में अनन्य् विशेषाधिकार प्राप्त विर्निमाणशाला के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पास के जरिये विर्निमाणशाला से झारखण्ड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम मे देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का परिवहन किया जायेगा।
5. इस अनुज्ञप्ति के अधीन देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की बिक्री केवल उन्ही व्यक्तियों/अनुज्ञप्ति प्राप्त खुदरा विक्रेताओं के साथ की जायेगी जो जिले के अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद द्वारा हस्ताक्षरित पारक प्रस्तुत करेंगे।

उपायुक्त खूंटी के आदेश से वर्ष 2016-17 के लिये नबीकृत
सहायक आयुक्त उत्पाद
राँची–सह–खूँटी

उपायुक्त खूंटी के आदेश से वर्ष 2014-15 के लिए नवीकृत
05/04/14
सहायक आयुक्त उत्पाद
राँची–सह–खूँटी

उपायुक्त खूंटी के आदेश से वर्ष 2015-16 के लिये नबीकृत
सहायक आयुक्त उत्पाद
राँची–सह–खूँटी

6. इस अनुज्ञप्ति के अधीन देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का संचय एवं बिक्री के लिये मदिरा का निर्गमण प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जायेगा। अनुज्ञाधारी उनकी सहायता के लिये प्रत्येक थोक गोदाम में अपना प्रतिनिधि/कर्मचारी रखेगा, जहाँ से खुदरा अनुज्ञाधारियों को निर्धारित दर पर देशी शराब/मसालेदार देशी शराब के निर्गमण जिला उत्पाद कार्यालय से निर्गत पारक के आधार पर किया जायगा।
7. देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा क्रय किये गये शराब के मुल्य की राशि का भुगतान झारखण्ड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को किया जायेगा तथा प्राप्त राशि के बदले झारखण्ड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा प्राप्ति रशीद निर्गत की जायेगी।
8. इस अनुज्ञप्ति के अधीन बेची जाने वाली देशी शराब/ मसालेदार देशी शराब की शक्ति वही होगी जैस कि राजस्व पर्षद, झारखण्ड समय–समय पर नियत करे।
9. अनुज्ञाधारी द्वारा इस अनुज्ञप्ति के अधीन देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर न्यनतम 15 दिनों का स्कंध हमेशा रखा जायेगा। विशेष परिस्थिति में इस संबंध में विचलन आयुक्त उत्पाद के आदेश से ही संभव होगा। जब कभी विहित न्यनतम प्रत्याभूत मात्रा से कम स्कंध हो तब अनुज्ञाधारी विहित न्यूनतम प्रत्याभूमत मात्रा के अनुरूप स्कंध शीघ्र पूरा कर देगा यदि अनुज्ञाधारी जिला के भण्डागार प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी से ऐसा करने के लिये सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के अन्दर ऐसा नहीं करता है तो वह ऐसे दण्ड का भागी होगा जैसा आयुक्त उत्पाद द्वारा ठीक समझा जायेगा।
10. अनुज्ञाधारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्पाद अनुज्ञप्ति पर लागू सामान्य शर्तो का सम्यक रूप से और निष्ठा पूर्वक पालन करेगा।

11. अनुज्ञाधारी आयुक्त उत्पाद द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले सभी सामान्य एवं विशेष आदेश से आबद्व रहेगा।

12. अनुज्ञाधारी देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की बिकी का लेखा–जोखा अलग–अलग रखेगा एवं खुदरा विक्रेता के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को मदिरा की बिकी नहीं करेगा।
13. अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति परिसर में मद्यपान की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

14. अनुज्ञाधारी देशी शराब / मसालेदार देशी शराब की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

15. अनुज्ञाधारी राज्य में लागू सभी संबंधित विधि / नियम / अधिसूचना / संकल्प एवं अनुदेश का पालन सुनिश्चित करेगा।

16. अनुज्ञाधारी राजस्व पर्षद द्वारा अधिसूचित शुष्क दिवस को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

17. अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन के लिये उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

उपायुक्त

उपायुक्त
खूँटी (झारखण्ड)

प्रतिलेख एकरारनामा

सर्वश्री श्री ....उपर नामित अनुज्ञाधारी इसमें इसके पूर्व लिखित और व्यक्त बंधेजों और शर्तों के निर्वहन और पालन करने के लिये अपनी ओर से और आपने अधिकृत प्रतिनिधियों की ओर से करार करता हूँ और अपने को आबद्व करता हूँ।

तारीख :–

25/6/13

साक्षी :–

Managing Director
Jharkhand State Beverages Corp. Ltd.
Ranchi

हस्ताक्षर

पता